

नम्बर
अहकाम
हुक्म

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

प्रार्थना-पत्र सं. 9/2013

उनवान

रहमत बनाम आमिन वगैरह

प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम व अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 जा0दी0

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामिल में
जारी

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रार्थना-पत्र पर वकील वादी को मौखिक तौर पर सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली अप्रार्थी न. 6 से 9 व 12 की तलबी में दिनांक 05.03.2013 से नियत है। तलबी हेतु वकील प्रार्थी को समूचित अवसर दिये जा चुके हैं और अवसर दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे वकील प्रार्थी द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में अप्रार्थीगण की तलबी पेश नहीं की गई है। इसलिए किसी भी पक्षकार को न्यायालय के आदेश की पालना नहीं करने की अनुमति नहीं है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय के आदेशों की पालना में अप्रार्थीगण की तलबी पेश नहीं करने पर इसी स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू